भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 588
जिसका उत्तर गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है

वर्चुअल न्यायालय परियोजना का कार्यान्वयन

588. श्री एस. निरंजन रेड्डी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में वर्चुअल न्यायालय परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) वर्चुअल न्यायालय प्रणाली में संवेदनशील आंकड़ों और न्यायालय अभिलेखों की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा के लिए क्या नयाचार स्थापित किए जा रहे हैं ;

(ग) न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित करने और विलंब को न्यूनतम करने के लिए वर्चुअल न्यायालय प्रणाली को मौजूदा केस प्रबंधन प्रणालियों के साथ किस तरह से एकीकृत किया जा रहा है ; और

(घ) क्या वर्चुअल न्यायालय कार्यवाही की बारीकियों को समायोजित करने के लिए वर्तमान कानूनी ढांचे में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है और यदि हां, तो इन संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : 30.11.2023 तक, 20 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 25 वर्चुअल न्यायालय अर्थात् दिल्ली (2), हरियाणा, चंडीगढ़, गुजरात (2), तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल (2), महाराष्ट्र (2), असम, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर (2), उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और राजस्थान में ट्रैफिक चालान मामलों को निपटाने के लिए परिचालन प्रारंभ किया गया है । इन वर्चुअल न्यायालयों द्वारा 4.11 करोड़ से अधिक मामलों को निपटाया जा चुका है और 31.11.2023 तक 45 करोड़ रुपए (45,92,871) से अधिक मामलों में, 478.69 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है ।

(ख) : उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के अपने निर्णय में यह धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता मूलभूत भाग के रूप में संरक्षित है और संविधान के भाग 3 द्वारा शासित स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में हैं । गोपनीयता का अधिकार, सूचना का अधिकार और डाटा सुरक्षा को संतुलित करने के लिए, ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालयों के छह न्यायमूर्तियों की एक उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें डोमेन विशेषज्ञों से युक्त तकनीकी कार्य समूह के सदस्यों की सहायता शामिल है, जो डाटा सुरक्षा और निजता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित कनेक्टिविटी और अधिप्रमाणीकरण क्रियाविधियों पर सुझाव/सिफारिश करेंगे । ई-न्यायालय परियोजना के अधीन बनाए गए डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क

और सेवा वितरण समाधानों का समालोचनात्मक आकलन और जांच करने और डाटा सुरक्षा को मजबूत करने और नागरिकों की निजता को सुरक्षित करने के लिए एक समिति को आदेशित किया गया है।

(ग) : वर्चुअल न्यायालय एक अवधारणा है, जिसका उद्देश्य न्यायालय में कक्षीकार या वकील की भौतिक उपस्थिति को समाप्त करना और वर्चुअल प्लेटफार्म पर मामलों का निपटान करना है । यह अवधारणा न्यायालय के संसाधनों का कुशलता-पूर्वक उपयोग करने और सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए छोटे-मोटे विवादों को निपटाने के लिए कक्षीकारों को एक प्रभावी रास्ता प्रदान करने के लिए विकसित की गई है ।

वर्चुअल न्यायालय एक न्यायाधीश द्वारा वर्चुअल इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म पर प्रशासित किया जा सकता है जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण राज्य तक विस्तारित हो सकती है और 24X7 कार्य कर सकती है । प्रभावी न्यायनिर्णयन और समाधान के लिए न तो कक्षीकार न ही न्यायाधीश को शारीरिक रूप से न्यायालय आना होगा । संचार केवल इलैक्ट्रानिक प्ररूप में होगा और दंडादेश/जुर्माना या प्रतिकर का भुगतान भी आनलाइन पूरा किया जाएगा । इन न्यायालयों का उपयोग उन मामलों के निपटान के लिए किया जा सकता है जहां अभियुक्त द्वारा सक्रिय रूप से अपराध स्वीकार किया जा सकता है या प्रतिवादी द्वारा समन और इलैक्ट्रानिक प्ररूप प्राप्त होने पर कारण का सक्रिय अनुपालन हो सकता है जैसा कि यातायात उल्लंघन के मामलों पर होता है । ऐसे मामलों को आम तौर पर देय जुर्माने आदि के भुगतान के पश्चात् निपटाया हुआ मान लिया जाता है ।

(घ) : वर्चुअल न्यायालयों की कार्यवाही एक प्रशासनिक मामला है जो सही अर्थों में न्यायपालिका और संबंधित राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र और डोमेन के अंतर्गत आता है । इन मामलों में केन्द्रीय सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है ।

****